... कुर्रे विभाजन प्रस्ताव सुना गया। वास्ते आदेश पत्रा० दिनांक 22/7/2024 को पेश हो

22/7/2024 पत्रावली पेश हुई। बकु. उप.। बहस आपत्ति कुर्रे विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। वादी वकील की ओर से कथन रहे कि तहसीलदार महोदय द्वारा जो दिनांक 14/05/2024 को कुर्रे रिपोर्ट पेश की गई थी, उससे वादी सहमत है। तथा द्वितीय कुर्रे रिपोर्ट जो दिनांक 3/7/2024 को पेश की गई है। वह मौके व कब्जे के विपरीत है। वादी डूंगरसिंह उससे सहमत नहीं है। करीब 2 वर्ष पूर्व इकरारनामा बदनसिंह पुत्र जीतसिंह द्वारा लिखा गया था जिसमें सभी भाईयों की सहमति थी तथा काबिज के अनुसार बंटवारे को भी सहमत था। प्रतिवादी [illegible] कपूर मौके पर उपस्थित नहीं है। तथा [illegible] से लापता है। सभी भाई-बहिन की [illegible] संख्या 5 कपूर की आधी जमीन हिस्से [illegible] जमीन को बाहिस्सा बराबर मौके पर कब्जा दे दिया जावे। जब कपूर वापिस आ जावे तब सभी भाई-बहिन की आधी हिस्से की जमीन को कपूर को वापिस दिया जावेगा

उपखण्ड अधिकारी
मदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:57:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म

तारीख हुक्म

कुर्रे विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में पेश किये गये हैं, जो मौके के विपरीत है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि दिनांक 3/7/2024 की कुर्रे रिपोर्ट आपत्ति को स्वीकार करने की कृपा करें तथा पक्षकारों की उपस्थिति में कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा करने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी वकील की ओर से कथन रहे कि दिनांक 14/05/2024 की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। तथा दिनांक 14.5.24 कुर्रे रिपोर्ट को आंशिक स्वीकार कर ख.नं. 3852, 3856 पर पुनः कुर्रे विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी संख्या 3 लापता है, फौत नहीं हुआ है। जब तक सिविल न्यायालय से फौत की घोषणा नहीं हो जाती है। तब कुर्रे का हिस्सा रहेगा। पूर्व में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसमें बाहिस्सा बराबर था। पूर्व में इन्होंने अच्छी-अच्छी आराजी का बंटवारा करवा लिया था जिसके कारण आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। वर्तमान रिपोर्ट, जो दिनांक 03/07/2024 को पेश की गई है। वह पक्षकारान की उपस्थिति में तथा "बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स" के आधार पर बनाई गई है। वादी का मकसद अच्छी-अच्छी जमीन को सड़क के किनारे पर लेना है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वर्तमान कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 03/07/2024 को अंतिम डिक्री किया जावे।

हमने [illegible] उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। [illegible] किया तो पाया कि वादी [illegible] संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान, 1415, 1416,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:57:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1568, 1569, 1570, 1571 वाके कस्बा नदबई प्रथम के कुर्रे विभाजन प्रस्ताव पूर्व में स्वीकार किये जा चुके है। खसरा नम्बरान 3852, 3856 वाके कस्बा नदबई द्वितीय के कुर्रे विभाजन प्रस्ताव बाद आपत्ति पुनः दिनांक 3/7/2024 को प्राप्त हो चुके हैं। प्रतिवादी कपूर पुत्र श्री जीती प्रति. सं. 3 लापता है। इसलिए हिस्सा सुरक्षित रखना कानून हित में है। हाल कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03/07/2024 मुताबिक कब्जा, पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किये हैं। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" अर्थात् अच्छी में से अच्छी कुरी में से बुरी आराजी में से हिस्सेनुसार एवं नियमानुसार तैयार किये गये हैं। अतः वादी आपत्ति कुर्रा विभाजन प्रस्ताव विरुद्ध करने में असफल रहा। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रा विभाजन प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार नदबई के पत्रांक 2634 दिनांक 03/07/2024 द्वारा भिजवाये कुर्रा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के ~~एवं~~ के द्वारा केवल पत्रांक 1674 दिनांक 14/05/2024 आराजी खसरा नम्बरान 1415, 1416, 1568, 1569, [illegible] में एवं पत्रांक 1570, 1571 वाके कस्बा [illegible] द्वारा भिजवाये 2634 दि[illegible] मुताबिक दावा गये कुर्रा [illegible] प्रस्ताव [illegible] आलम एवं डिक्री डिक्री किया जाता है। [illegible] निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:57:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner